शिक्षा संस्थानों में यौन शिक्षा

सत्रहवां फ़िक्ही सेमिनार (बुरहानपुर) दिनांक 28-30 रबीउल अव्वल 1429 हिजरी, 5 - 7 अप्रैल 2008 ई॰ को आयोजित हुआ।

मानव जीवन में विभिन्न हालात सामने आते हैं, जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण उस समय आरंभ होता है जब लड़के लड़कियाँ वयस्क (बालिग़) होने की मन्ज़िल में क़दम रखते हैं। व्यस्क होने के बाद मनुष्य से जो ज़रूरतें और तकाजें जुड़े होते हैं वे प्राकृतिक हैं, और इसलिए सामान्यता इस सम्बन्ध में स्थाई शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि समय से पूर्ण व्यस्क और उसके बाद होने वाले परिवर्तनों और उन परिवर्तनों के नतीजे में पैदा हाने वाली ज़रूरतों का ज्ञान मनुष्य को बिगाड़ और दुराचार की ओर ले जाता है, इसलिए भारत सरकार शिक्षा संस्थानों में यौन शिक्षा से सम्बन्धित जो योजना बना रही है, सेमिनार उसे अत्यन्त चिन्ता की नज़र से देखता है, सेमिनार का सोचना है कि:

.1 प्राइमरी और मिडिल स्तर से छात्र और छात्रओं को यौन शिक्षा देना और उन्हें यौन अंगों के कार्य के बारे में बताना असल में पश्चिमी एजेन्डा है जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, यह न केवल इस्लामी शिक्षाओं के विरुद्ध है बल्कि स्वमं हिन्दु धर्म व देश की परम्पराओं और पूर्वी मूल्यों के भी विरुध है, और सरकार को ऐसी बातों से पूर्ण रूप से बचे रहना चाहिए, अन्यथा इसके नैतिक प्रभाव अत्यन्त अनुचित होंगे।

2वस्तुतः ज़रूरत नैतिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की है जो नवजवानों को अवैध सम्बन्धों और यौन विमुखता से बचाए। एड्ज़ और इस जैसी बीमारियों से बचने का सही तरीक़ा नैतिक शिक्षा और अवैध सम्बन्धों से मर्दो और औरतों को बचाना है न कि ग़ैर क़ानूनी शिक्षाओं को बढावा देना। यह तो गुनाह और बुराई की दावत है जो इस्लामी दृष्टिकोण से कदापि वैद्य नहीं और समाज के लिए आचरण और स्वास्थ्य दोनो ही तौर पर घातक है।

3 सेमिनार भारत सरकार से मांग करता है कि शिक्षा संस्थानों में यौन शिक्षा की योजना को तुरंत वापस ले, इसके बजाए नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकता है जो सारे धर्मों की संयुक्त सर्वमानय नैतिक मूल्यों पर इस प्रकार आधरित हो कि पाठ्यक्रम पर किसी एक धर्म की छाप मालमू न हो।

☆☆☆